लोकसभा चुनाव : चुनावी हैट्रिक को भाजपा की जमीनी तैयारी पूरी

विधानसभावार 37 कमेटियां बनी, संभालेगी क्षेत्र का जिम्मा

■ 28-29 फरवरी को अपने प्रभार वाली सीट पर जाएंगे प्रभारी मंत्री

जयपुर। लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक बनाने के भाजपा प्रदेश में जमीनी स्तर पर पूरी तरह तैयार है। भाजपा ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां विधानसभावार की है।

हर विधानसभा में पार्टी की जीत तय करने के लिए पार्टी ने प्रदेश कोर कमेटी की तर्ज पर विधानसभा वार कोर कमेटियां बनाई है। जिसमें क्षेत्रवार परिस्थितियां के मुताबिक भाजपा विधायक और अन्य पदाधिकारी, नेता सदस्य होंगे। जो अपने विधानसभा में लोकसभा चुनावों की चुनावी प्रबंधन के लिए लोकसभा प्रभार के मंत्री जिम्मेदार होंगे। पार्टी प्रदेश नेतृत्व से मिलने वाली रणनीति के मुताबिक क्षेत्रवार चुनावी गतिविधियों को मूर्तरूप देंगे। वहीं चुनावी जीत के लिए अपने सुझाव भी देंगे।

वहीं विधानसभावार 37-37 नेता कार्यकर्ताओं की अलग से टीमें बनाई गई है। इनके पास सोशल मीडिया, महिला, किसान, युवा सहित हर वर्ग के लोगों से संपर्क का जिम्मा होगा। लोकसभा वार सरकार के 23 मंत्रियों और दो अन्य नेताओं को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। इसमें सरकार के दोनों डिप्टी सीएम दीया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा भी शामिल हैं। ये सभी 28-29 फरवरी को अपने प्रभार वाली सीट पर जाएंगे। विधानसभावार कोर कमेटियों और अन्य टीमों से तैयारियों को लेकर सीधे संवाद करेंगे और खामियों पर अपने सुझावों की रिपोर्ट बनाकर पार्टी नेतृत्व को सौपेंगे। क्षेत्र में मिलने वाले वर्गवार टॉस्क को पूरा कराने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। भाजपा की रणनीति के तहत मार्च माह में पार्टी की प्रदेश से लेकर विधानसभावार तय की गई टीमें, बूथ और पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं की टीमें प्रदेशभर में बूथ स्तर तक के भाजपा के चुनावी प्रचार में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर देगी। जिसमें घर-घर जनसंपर्क, मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार के कामों के अलावा पूर्व गहलोत सरकार में व्याप्त खामियां, कांग्रेस की खामियों को भी वोटर्स को बताया जाएगा।

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राहुल योगी को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा की अभियुक्त ने नाबालिग पीडिता के साथ दुष्कर्म करने का अपराध किया है। इसमें पीड़िता की सहमति भी थी तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा। अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया की पीड़िता की नानी ने कोटखावदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया की उसकी नाबालिग दोहिती जन्म के समय से ही उसके पास रहती है।

भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने राजभवन पहुँचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की।

रेप पीड़िता की हालत गंभीर, वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा

कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई

■ सोमवार देर रात पीड़िता का ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी थी।

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती प्रागपुरा कांड की पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे सोमवार देर रात हालत वेंटीलेटर सपोर्ट पर लिया गया है। वहीं मंगलवार सुबह पीड़िता की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। राज्य सरकार के निर्देश पर पीड़िता के इलाज के लिए अलग से मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही आइसीयू में भी पीड़िता को अलग से आइसोलेट किया गया है।

पीड़िता की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एसएमएस ट्रोमा में डाक्टरों की टीम को रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसके बाद अब करोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पीड़िता का इलाज चल रहा है।

गौरतलब है कि प्रागपुरा दुष्कर्म मामले में पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार ने एम्स शिफ्ट करने के लिए कहा था, लेकिन परिजन एसएमएस ट्रोमा के इलाज से संतुष्ट है। बीती रात को पीड़िता की हालत काफी नाजुक रही और देर रात उसका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। परिवार ने इसकी डॉक्टरों को जानकारी दी। इस पर तीन डॉक्टरों की टीम पीड़िता के इलाज में जुट गई। इसके बाद उसे वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर बनी हुई है।

एसएमएस अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने बताया कि पीड़िता के स्वास्थ्य में स्थिर है। लगातार चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी है। बता दें कि गत शनिवार शाम करीब 7 बजे बदमाशों ने प्रागपुरा में पीड़िता और उसके भाई की गाड़ी के आगे अपनी बाइक लगा दी। इसके बाद पीड़िता के पूरे शरीर पर फर्से से एक के बाद एक करीब 15 वार किए। पीड़िता के अधमरा होने पर एक बदमाश ने उस पर एक राउंड फायर किया और अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया।

मिल्ली काउन्सिल के चुनाव सम्पन्न

जयपुर, (का.सं.)। आल इंडिया मिल्ली काउन्सिल राजस्थान की जनरल बॉडी की मीटिंग मुस्लिम मुसाफ़िर खाना मोती डूँगरी रोड जयपुर में सम्पन्न हुई। शेख़ निज़ामुद्दीन ने राजस्थान मिल्ली काउन्सिल के चुनाव सम्पन्न करवाये। कार्यकारिणी में सदर शब्बीर खान जनरल सेक्रट्री, एडवोकेट मुजाहिद नकवी फ़ाइनैन्स सचिव, एडवोकेट अनवार अहमद की बनाया गया। नायब सदर मोहम्मद नईम कोटा और सह सचिव आबीद हूसेन बांरा और सरवर आलम की मिल्ली यूथ फ़ेडरेशन का सचिव बनाया गया।

सरपंच के चुनाव को रद्द करने का फैसला सही : हाईकोर्ट

■ अदालत ने सरपंच की याचिका को खारिज करते हुए 'इलेक्शन ट्रिब्युनल' के आदेश को सही ठहराया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में पंचायत समिति अजमरे ग्रामीण की ग्राम पंचायत बड़लिया के सरपंच के चुनाव को रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की और अदालत ने पाया कि 'इलेक्शन ट्रिब्युनल' का चुनाव रद्द करने का फैसला सही था। न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने यह आदेश ज्ञान सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये।

उक्त मामले में 'इलेक्शन ट्रिब्युनल' के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई और कहा गया था कि राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के नियम 81 के तहत चुनावी याचिका केवल वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही पेश की जा सकती है। उक्त मामले में वाद प्रस्तुत करने वाली महिला सारजू देवी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से पैरवी के लिये अधिवक्ता गोविन्द पुरोहित पेश हुए थे। और उन्होंने अदालत को बताया कि उक्त मामले में वकालतनामे में वाद प्रस्तुत करने वाले के वकील का नाम उद्धत है। उन्होंने कहा कि वकालत नामे में अंकित वकील का नाम यही दर्शाता है कि उसके मुवक्किल ने उसे उसकी ओर से वाद पेश करने के लिये नियुक्त किया है। अदालत ने गोविंद पुरोहित द्वारा पेश तर्कों को सही मानते हुए कहा कि वकालत नामा पंचायती राज एक्ट 1994 के नियम 81 की जरूरतों पर खरा उतरता है और इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया।

'दस्तावेज साइन करने मात्र से नहीं वसूला जा सकता 60 फीसदी ब्याज'

जयपुर। ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि वित्तीय संस्था ऋणी व्यक्ति की ओर से दस्तावेज पर साइन करने मात्र से साठ फीसदी ब्याज वसूल करने का अधिकार नहीं रखती है। वित्तीय संस्था रिजर्व बैंक की ओर से तय मापदंड के आधार पर ही ब्याज राशि वसूल सकती है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने मेंटोर होम लोन इंडिया की ओर से की गई कार्रवाई को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है और मकान का कब्जा परिवादी को लौटाने को कहा है। पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार रस्तोगी ने यह आदेश कन्हैयालाल शर्मा की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने न्यायाधिकरण को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में मेंटोर होम लोन इंडिया से 14 लाख रुपए का लोन लिया था। वहीं बाद में करोना के चलते वह कुछ किस्तों का भुगतान नहीं कर पाया। याचिकाकर्ता की ओर से अब तक करीब 12 लाख रुपए का भुगतान वित्तीय संस्था को किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वित्तीय संस्था ने लोन इकरारनामे का हवाला देकर साठ फीसदी दंडात्मक ब्याज की मांग कर याचिकाकर्ता से 27 लाख रुपए की मांग की। इस कार्रवाई को न्यायाधिकरण में चुनौती देने के बाद वित्तीय संस्था ने याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर को अपने कब्जे में ले लिया।

238 करोड़ की लागत से प्रदेश के दो राजमार्गों का होगा अपग्रेडेशन

■ नसीराबाद घाटी मार्ग चार लेन का होगा, शाहपुरा से अलवर सड़क 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ी की जाएगी

■ ब्लैक स्पॉट समाप्त होने से हादसो में कमी आयेगी, यातायात सुगम होगा- दिया कुमारी

जयपुर। प्रदेश के दो नेशनल हाईवे लगभग 238 करोड़ रुपय की लागत से अपग्रेड किए जाएंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति जारी की गई है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 (नया 448) के लिये 3.95 किमी लम्बाई के फोर लेन पेब्ड शेल्डर कार्य के लिए 82.72 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। यह सड़क अजमेर-नसीराबाद घाटी से निकलती है जो वर्तमान में ब्लैक स्पॉट है। उक्त सड़क अजमेर से कोटा को स्टेट हाईवे 26(नसीराबाद-केकडी-देवली) के माध्यम से जोड़ती है। फोर लेनीकरण के पश्चात यातयात का सुगम संचालन होगा एवं राजमार्ग पर स्थित ब्लैक स्पॉट (नसीरादाबाद घाटी) का पुर्णतः निवारण हो जायेगा।

उन्होंने बताया कि नेशनल हाइवे 248ए शाहपुरा अलवर सडक पर किमी 25.66 किमी लम्बाई के अपग्रेडेशन कार्य के लिये 154.89 करोड की स्वीकृति जारी की गई है। इससे सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर से बढ़कर 10 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी।

सांसद बोहरा ने वाटिका में किया दीवार लेखन

जयपुर। मंगलवार को बगरु विधानसभा की वाटिका नगर पालिका में 51 स्थानों पर दीवार लेखन का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने बूथ संख्या 117 पर दीवार लेखन किया। सांसद बोहरा ने दीवार पर कमल का चित्र बनाकर एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन लिखा। सांसद बोहरा ने कहा कि एक बार पुनः प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में कमल खिलने जा रहा।

'माइनिंग सेक्टर में तेजी से विकास के लिए अन्य प्रदेशों के अनुभवों को साझा किया जाएगा'

■ राजस्थान को माइनिंग सेक्टर में अग्रणी प्रदेश बनाने की कवायद शुरू

■ उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के माइंस विभाग की कार्यप्रणाली को किया साझा

जयपुर, (का.सं.)। माइनिंग सेक्टर में राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरु कर दी है। खान सचिव आनन्दी ने कहा कि माइनिंग क्षेत्र में अग्रणी प्रदेशों की बेस्ट प्रेक्टिसेज को प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार परीक्षण कर अपनाया जाएगा। राजस्थान में विपुल खनि संपदा है और इसको प्रदेश के आर्थिक विकास, माइनिंग सेक्टर में तेजी से विकास, औद्योगिकरण, राजस्व वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर कारगर रोक लगाने के लिए अन्य प्रदेशों के अनुभवों को भी परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माइनिंग क्षेत्र में राजस्थान देश का इकलोता प्रदेश हैं जहां माइंस विभाग के अधिकारियों की टीम ही बिना किसी ऑउट सोर्सिंग के माइनिंग ब्लॉकों की नीलामी की सभी आवश्यक तैयारियां करने से लेकर ऑक्शन तक का कार्य करती है। अन्य प्रदेशों में यह कार्य बाहरी संस्थाओं यानी कि थर्ड पार्टी के माध्यम से होता है। खान सचिव आनन्दी मंगलवार को खनिज भवन में डीएमजी भगवती प्रसाद कलाल के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के खनिज विभागों की कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में माइनर और मेजर मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और खनिज प्लॉटों की नीलामी में और अधिक तेजी से काम किया जाना है। राज्य सरकार ने कार्यभार संभालते ही अवैध खनिज गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने के साथ ही मेजर और माइनर मिनरल्स के ब्लॉक तैयार कर नीलामी के कार्य में तेजी लाई गई है। इसी माह से प्रदेश में 79 मेजर मिनरल ब्लॉकों की ईनीलामी आरंभ कर दी गई है वहीं 339 माइनर मिलरल ब्लाकों की ई-नीलामी जारी है। इसी के साथ बजरी ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है।

आनन्दी ने कहा कि हमारा उद्देश्य मिनरल्स की खोज के साथ ही एमएल प्राप्त माइस को कम समय में आपरेटिव सिस्टम में लाना हैं वहीं माइनिंग ब्लॉक तैयार करते समय अन्य विभागों से बेहतर समन्वय व इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

'कानून बहाली को लेकर कठोर निर्णय ले सरकार'

जयपुर। राजस्थान के कोटपूतली जिले में हुई युवती के साथ दर्दनाक घटना ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। राज्य सरकार को इस विषय में तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। 24 वर्षीय युवती के साथ दरिंदो द्वारा की गई अमानवीय व्यवहार से राजस्थान की कानूनी व्यवस्था व महिला सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इससे पूर्ववर्ती सरकार में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा की बदहाली हुई है। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में महिला सुरक्षा, बहन- बेटियों को न्याय दिलवाने की आवाज बनी है। जिसको लेकर पूर्ववर्ती सरकार में खूब आंदोलन एवं प्रदर्शन भी किये। प्रदेश में कानूनी व्यवस्था शर्मसार हुई तो विद्यार्थी परिषद ने करौली से लेकर जयपुर तक न्याय पदयात्रा निकाली।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

गिरता भू-जल स्तर चिंता का विषय : डॉ. समित शर्मा

■ अटल भूजल योजना के तहत एक दिवसीय आमुखी करण कार्यशाला का हुआ आयोजन

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश में गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय है। जल संचयन सहित अन्य विधियों से भूजल स्तर में सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए अटल भूजल योजना मील का पत्थर साबित होगी लेकिन इसके लिए योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्यों को हासिल करना होगा। यह कहना है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा का।

डॉ शर्मा ने यह बात मंगलवार को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अटल भूजल योजना के तहत आयोजित एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक, 1132 ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जा रही अटल भूजल योजना के माध्यम से जन सहभागिता से गिरते हुए भूजल स्तर की रोकथाम हेतु सकारात्मक परिणाम लाने की आवश्यकता जाहिर की।

उन्होंने योजना के माध्यम से जल मांग एवं जल आपूर्ति आधारित कार्यों को समय पर पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी सहभागी विभागों से आग्रह किया गया कि योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष एवं आगामी अवधि में प्रोत्साहन राशि का पूर्ण उपयोग एवं कन्वर्जेन्स राशि के कार्यों को पूर्ण कर अन्य राज्यों की तुलना में राज्य की स्थिति को बेहतर बनाए जाने हेतु अथक प्रयास करें।

एस पी एम यू अटल भू जल योजना के परियोजना निदेशक सूरजभान सिंह ने अटल भूजल योजना में प्रदेश में अब तक किए गए कार्यों, योजना की व्यावहारिक कठिनाइयां एवं योजना के सफल क्रियान्वयन के समाधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला में वक्ताओं ने राजस्थान में गिरते भूजल स्तर के प्रति चिंता जाहिर की। वक्ताओं ने योजना में राज्य में अब तक किये गये कार्यों, योजना की व्यवहारिक कठिनाईयों एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समाधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।

कार्यशाला में पदमश्री डॉ. श्याम सुन्दर पालीवाल, पिपलांत्री ग्राम पचांयत, राजसमन्द, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, सरपंच ग्राम पंचायत-जाहोता, गुजरात के धरती फाउण्डेशन के अध्यक्ष मुकेश भाई प्रजापति तथा राजेन्द्र कीर, चित्तौडगढ़ के प्रगतिशील किसान भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने-अपने क्षेत्र में किये गये जल संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन हेतु अभिनव कार्यों का अपना अनुभव साझा किया।

नोडल अधिकारी, एसपीएमयू, अटल जल डॉ. वी एन भावे ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यशाला में भाग लेने के लिए एनपीएमयू, एसपीएमयू, डीपीएमयू, डीआईपी, वीडब्ल्यूएससी, भूजल विभाग के अधिकारिगणों, प्रतिभागियों एवं मीडियाकर्मियों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक, भूजल विभाग डॉ. विनय भारद्वाज द्वारा किया गया।

कार्यशाला में एनपीएमयू, नई दिल्ली के निदेशक डॉ. राघव लांगर, परियोजना निदेशक प्रतुल सक्सेना सहित कृषि, उद्यानिकी, पंचायती राज, जलग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वन, जल संसाधन आदि सहभागी विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। साथ ही राज्य एवं जिला नोडल अधिकारियों, राज्य, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों के अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ, अटल भूजल योजना के 38 ब्लॉकों से ग्रामीण जल स्वच्छता समिति के सदस्यगणों, जिला क्रियान्वयन इकाई व भूजल विभाग के अधिकारी सहित लगभग 750 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य छुट्टन पुत्र श्री अब्दुल गनी निवासी-111, सुदामापुरी, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर के पुत्र असलम, अशरफ व मोसिन व पुत्र वधुओं रूखसार, रेशमा व फरहीन मेरे अभिभाष्य के कहे में नहीं है जिस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने तीनों पुत्र असलम, अशरफ व मोसिन व तीनों पुत्र व तीनों पुत्र वधुओं रूखसार, रेशमा व फरहीन को समस्त जायदाद से बेदखल करता है यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहें।
जयपुर (आबिद कुरैशी) एडवोकेट
दिनांक-23.02.2024 मो.नं. 9351764032

सूचना मैं तेजपालसिंह चौहान पुत्र स्व. जी.एस. चौहान नि. 46, गोकुल विहार-ए, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर स्कुटर के द्वारा घर से सांगानेर जा रहा था। सांगानेर एयरपोर्ट एवं सांगानेर थाना के मध्य मेरा बैग दिनांक 10.02.2024 को गिर गया। जिसमें मेरे भांजे महावीर सिंह पुत्र श्री बाबुदान सिंह, बडागांव, जि.-अलवर का भूखण्ड संख्या 30 एरिया 104.03 वर्गगज एवं कुमारी निर्जा माथुर पुत्री एन.के. माथुर बरकत नगर, जयपुर के भूखण्ड संख्या 33, 34, 35 एरिया 109.29, 112.34, 113.03 वर्गगज के सभी भूखण्ड सोसायटी हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति की कॉलोनी नृसिंग हाईट के नाम से आवंटित है। सूचना देने वाले को उचित ईनाम दिया जावेगा। तेजपाल सिंह-9413393528

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नंबर 21सी (जो कि मूल प्लॉट नंबर 21 का पश्चिमी भाग है), योजना शिव शंकर नगर, ग्राम चक गैटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज है। उक्त सम्पति को श्री रामचरण बडाया पुत्र हनुमान सहाय बडाया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 31.05.2017 को मेसर्स ओशियन ग्रीन डवलपर्स एण्ड बिल्डर्स जरिये प्रो0 प्रतीक व्यास पुत्र विजय कुमार व्यास से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। यह कि मेरी अभिभाष्या सुनीता शर्मा पत्नी वेद प्रकाश शर्मा द्वारा उक्त सम्पति को उक्त रामचरण बडाया से खरीद करने का इकरार किया गया है। मेरी अभिभाष्या उक्त सम्पति को खरीद करने हेतु एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. में बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना चाहती है। यदि किसी भी व्यक्ति, संस्था आदि को उक्त सम्पति के खरीद / बंधक से किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज हो तो 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सम्पर्क करे, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
जयपुर (रामेश्वर सिंह राठौड) एडवोकेट
दिनांकः-27.02.2024 मो.नं. 9829256466

नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह

(Civil Procedure Code Appendix H, Form No.4)
न्यायालय श्रीमान् पारिवारिक न्यायालय संख्या - 1 अजमेर
मोनिका बनाम मान महेन्द्र सिंह
मुकदमा cm 34 सन् 2023बाबत U/s 09p13 Cpc
विरुद्ध मान महेन्द्र सिंह सुपुत्र ठा. भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पो. हमीरपुर वाया टोडारायसिंह, जिला टोंक क्योंकि इसने अदालत में दरख्वास्त पेश की है कि लिहाजा आपको इतला दी जाती है कि तारीख 14/3/2024 माह ब रोज 10.30 a.m. को बजे दिन के अदालत हाजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर खिलाफत जाहिर करो वरना दरख्वास्त मजकूर इकतरफा सुनी व फैसल की जायेगी। बसख्त मेरे दस्तखत मुहर अदालत आज तारीख 22 माह 02 2024 जारी किया गया।
आदेशानुसार
वरिष्ठ मुन्सरिम पारिवारिक न्यायालय संख्या-1 अजमेर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुक्दमा नम्बर 71/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री संदीप लोढ़ा पुत्र श्री घेवर चन्द लोढ़ा निवासी 8 कल्याण कॉलोनी मालवीय नगर गौरव टावर के सामने जयपुर-302017 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत एहसास वॉयस फॉर वॉयसलेस फाउण्डेशन 3/26 मालवीय नगर जयपुर-302017 राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30.04.2024
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम नादीश खान शेख पुत्र सिंकदरे आजम से बदलकर नादीश खान कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। पता-53/72 वी.टी. रोड, मानसरोवर, जयपुर-302020

मैंने अपना नाम रिंकू बाहेती (Rinku Baheti) से बदलकर रिंकू साबू (Rinku Saboo) रख लिया है। भविष्य में मुझे रिंकू साबू (Rinku Saboo) पुत्री श्री बिहारी लाल साबू के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी-प्लॉट नम्बर 38, मानसिंहपुरा, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान

मैं मेरा नाम बाल गोविन्द वैष्णव से बदल कर बाल गोविन्द बैरानी पुत्र श्री भगवान दास बैरागी निवासी 76, सचिवालय विहार, कल्याणपुरा, मानसरोवर, जयपुर राज. रख रहा हूँ भविष्य में मुझे मेरे उक्त नये नाम से ही जाना पहिचाना जावें।

I service no jc756729P Ex SUB major Samandar singh shekhawat S/O late sajjan singh R/O plot no 339 Prem Nagar jagatpura jaipur that have changed my wife name From SANTOSH KOUR is wrong entered in service record To SANTOSH KANWAR vide affidavit dated 23feb 2024 before district notary Jaipur

I service no jc756729P Ex SUB major Samandar singh shekhawat S/O late sajjan singh R/O plot no 339 Prem Nagar jagatpura jaipur that have changed my son name From KALAYAN SINGH SHEKHAWAT (DOB 2 may 1989) is wrong entered in service record To KALYAN SINGH (DOB 2/10/1991) vide affidavit dated 23feb 2024 before district notary Jaipur

I shabina khatun legally wedded spouse of army no 2892062L Ex Hav sirajuddeen R/O A 251 panchwati colony rawal ji ka bandha khatipura road sodala Jaipur that have changed my name From SHABINA KHATUN is wrong entered in service record To SABEENA KHATOON vide affidavit dated 23 feb 2024 before district notary Jaipur

I army no 2892062L Ex Hav sirajuddeen S/O late mukhtar ahmed A 251 panchwati colony rawal ji ka bandha khatipura road Jaipur have changed my son name from SARFRAZ AHMED KHAN is wrong entered in service record To SARFRAJ AHMAD KHAN vide affidavit dated 23 feb 2024 before district notary Jaipur

I, Parvati Yadav W/o No. 15417951N Rank: Havildar Dileep R/o Village: Gayaganj, Shyampura Dist: Sagar (MP) has changed my name and DOB from Parvati Yadav to Parwati Yadav and from 03.03.1985 to 05.04.1983 for all future purpose vide affidavit Dated 22.02.2024 before court Jaipur District.

खोया पाया

मेरे मकान 7/414, मालवीय नगर, जयपुर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डिक्लेशन, अदेय प्रमाण पत्र, कार्यालय आदेश नं. 2081, कार्यालय आदेश नं. 2082 मालवीय नगर, जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें-राहत अली खान-7665669993

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी फ्री होल्ड पट्टे की एक प्रति (बिना रजिस्टर्ड) निजी खातेदारी की भूमि अलोटमेन्ट नम्बर डीसी-11/डी-951 दिनांक 13.04.2022 को जारी किया गया था जो कि कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें-ओमप्रकाश गुप्ता-मो. 9829132892

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शेखावाटी शिक्षा समिति रजिस्ट्रेशन नम्बर 162/जयपुर/2013-14, पता-सिंगोद खुर्द तहसील चौमू, जिला जयपुर के संस्था का मूल प्रमाण पत्र, मूल विधान व अन्य दस्तावेज जो रजिस्ट्रार कार्यालय से दी गई थी। वे सभी खो गए है। किसी को मिले तो तुरन्त सूचित करें। सचिव-बाबूलाल ऐचरा, मो. 9929009991

मेरे मकान सं. डी-76, नारायण एनक्लेव बिंदायका का पट्टा व अन्य दस्तावेज कहीं खो गए है मिलने पर सूचित करें-शैलकंवर-9166162431, 9785017731

गुलाबबारी भवन निर्माण सहकारी समिति की योजना लॉयन्स लेब सिरसी रोड जयपुर के पुराना भूखण्ड संख्या 135-ए, नया भूखण्ड संख्या 127-ए, की सोसायटी द्वारा जारी मूल रसीद गुम हो गई है। मिलने पर सूचित करें। ओम प्रकाश अग्रवाल मो. 9414933119

निजी खातेदारी की योजना नारायण वाटिका के प्लाट नं. ए-83, का निजी खातेदारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जयपुर में खो गये है सूचित करें पुरणमल कुमावत-9784593785

निजी खातेदारी की योजना नारायण वाटिका के प्लाट नं. ए-82, का निजी खातेदारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जयपुर में खो गये है सूचित करें पुरणमल कुमावत-9784593785

निजी खातेदारी की योजना नारायण वाटिका के प्लाट नं. ए-80, का निजी खातेदारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जयपुर में खो गये है सूचित करें राजू लाल गुर्जर-9829281483

निजी खातेदारी की योजना नारायण वाटिका के प्लाट नं. ए-81, का निजी खातेदारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जयपुर में खो गये है सूचित करें अर्जुन-9828083784

निजी खातेदारी की योजना नारायण वाटिका के प्लाट नं. ए-84, का निजी खातेदारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जयपुर में खो गये है सूचित करें पुरणमल कुमावत-9784593785

मेरे प्लाट नं. 117/142 थडी मार्केट मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र खो गया है। मिलने पर सूचित करें। रमेश कुमार नैनानी-8302693011